

—: कार्यालय आदेश :-

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक जोन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों/लेखा कर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 17-06-2011 को मध्याह्न पूर्व 11:00 बजे निदेशालय सभागार में आयोजित की जा रही है। समस्त सहायक लेखाधिकारी नियमित रूप से लायी जाने वाली सूचनाओं के साथ निम्नांकितानुसार सूचना अपने साथ लेकर आयेगें :-

1. बकाया दायित्वों (Pending Libilities) की सूचना दिनांक 18.05.2011 तक चाही गयी थी। अभी तक भी कुछ कार्यालयों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। शेष कार्यालयों की सूचना तथा इकजाई सूचना उपलब्ध कराये।
2. दिनांक 5.06.2011 के दौरान आयोजित कैम्पस में महालेखाकार, आन्तरिक जांच/निरीक्षण विभाग के प्रतिवेदनों की प्राप्त अनुपालनाये।
3. महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनायें दिनांक 10.06.2011 तक भिजवायी जानी थी। शेष रही प्रथम अनुपालनायें साथ लाये।
4. वर्ष 2011-12 में निस्तारण योग्य सामग्री/नकारा वाहनों की सूचना।
5. चोरी/गबन के प्रकरणों की बिन्दुवार सूचना निर्धारित प्रपत्र में।
6. प्रपत्र 1 से 8 तक की जोन स्तर की समेकित माह मई 2011 तक की सूचना।
7. स्टॉक एवं स्टोर लेखे एवं भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जोन स्तर पर समेकित कर दिनांक 10.05.2011 तक वाहक स्तर पर भिजवाये जाने थे। बकाया रहे प्रमाण पत्र बैठक में साथ लेकर आवे।
8. माह मई, 2011 के मासिक व्यय विवरण मानचित्र विभागीय पत्रांक ए-4(1)लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.2011 के अनुसार लावे। मासिक व्यय मानचित्र पर पूर्ण बजट मद सही व स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। संभावित व्यय विवरण के साथ सम्बन्धित कार्यालयों के द्वारा प्रेषित व्यय विवरण पत्र भी संलग्न करे। जिन कार्यालयों द्वारा अभी तक माह अप्रैल, 2011 का व्यय विवरण मानत्रित प्रेषित नहीं किया गया है, वे व्यय मानचित्र साथ लावे।
9. अन्य सूचनाएं जो नियमित रूप से प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाती है।

वित्तीय सलाहकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति० निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा०)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आरएचएसडीपी/मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार क्यण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आईईसी मुख्यालय।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
8. डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
9. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन.....
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
11. सहायक लेखाधिकारी बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार मुख्यालय जयपुर।
12. प्रभारी सर्वर, रूम (मु.) कृपया इस आदेश को विभाग की वेब-साईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
13. केयर टेकर, कृपया दिनांक 17/06/2011 को प्रातः 11:00 बजे से हॉल आरक्षित करें।
14. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर